सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 130 राँची, सोमवार, 28 मार्च, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्‌य निषेध विभाग।

अधिसूचना

28 मार्च, 2022

संख्या-1/नीति-05-08/2022-605--झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या 973 दिनांक 09.06.2021 द्‌वारा अधिसूचित "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" में संशोधन करने हेतु निम्नंकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ-

(1) यह नियमावली "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2022" कही जायेगी ।

(2) इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य क्षेत्र में होगा ।

(3) यह नियमावली विभाग द्‌वारा प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. "झारखंड मदिरा के भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम संख्या 6 (vii) में संशोधन/ प्रतिस्थापन निम्नवत किया जाता है :-

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>नियम</th><th>वर्तमान नियम</th><th>संशोधित/प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td>1</td><td>6(vii)</td>
<td>जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क- राज्य अंतर्गत सभी जिलों में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चयन के लिए प्रत्येक योग्य आवेदक को आवेदित जिला हेतु निर्धारित निम्न तालिका के अनुसार जमानत की राशि एवं पूरी अवधि का अनुज्ञप्ति शुल्क आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा-
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>जिला का नाम</th><th>जमानत की राशि (संपूर्ण अनुज्ञप्ति अवधि के लिए) (लाख रूपये में)</th><th>अनुज्ञप्ति शुल्क, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए) (लाख रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राँची</td><td>50</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर</td><td>50</td><td>100</td></tr>
<tr><td>3</td><td>धनबाद</td><td>50</td><td>100</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बोकारो</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गिरिडीह</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>हजारीबाग</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>7</td><td>पलामू</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>8</td><td>देवघर</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>9</td><td>रामगढ़</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सरायकेला-खरसावाँ</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>12</td><td>कोडरमा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>13</td><td>दुमका</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>14</td><td>गढ़वा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>15</td><td>साहेबगंज</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>16</td><td>गोड्डा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>17</td><td>चतरा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>18</td><td>पाकुड़</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>19</td><td>जामताड़ा</td><td>10</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
<td>जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क- राज्य अंतर्गत सभी जिलों में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चयन के लिए प्रत्येक योग्य आवेदक को आवेदित जिला हेतु निर्धारित निम्न तालिका के अनुसार जमानत की राशि एवं पूरी अवधि का अनुज्ञप्ति शुल्क आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा-
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>जिला का नाम</th><th>जमानत की राशि (संपूर्ण अनुज्ञप्ति अवधि के लिए) (लाख रूपये में)</th><th>अनुज्ञप्ति शुल्क, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए) (लाख रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राँची</td><td>50</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर</td><td>50</td><td>100</td></tr>
<tr><td>3</td><td>धनबाद</td><td>50</td><td>100</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बोकारो</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गिरिडीह</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>हजारीबाग</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>7</td><td>पलामू</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>8</td><td>देवघर</td><td>25</td><td>50</td></tr>
<tr><td>9</td><td>रामगढ़</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सरायकेला-खरसावाँ</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>12</td><td>कोडरमा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>13</td><td>दुमका</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>14</td><td>गढ़वा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>15</td><td>साहेबगंज</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>16</td><td>गोड्डा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>17</td><td>चतरा</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>18</td><td>पाकुड़</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>19</td><td>जामताड़ा</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>20</td><td>गुमला</td><td>10</td><td>20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>20</td><td>गुमला</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>21</td><td>सिमडेगा</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>22</td><td>लातेहार</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>23</td><td>लोहरदगा</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>24</td><td>खूँटी</td><td>10</td><td>20</td></tr>
</table>
परंतु, वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी आवेदक के द्वारा इस प्रकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से एकमुश्त देय होगा। उदाहरणस्वरूप- अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक को तीन तिमाही का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने की स्थिति में पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा ।
</td>
<td>
<table>
<tr><td>21</td><td>सिमडेगा</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>22</td><td>लातेहार</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>23</td><td>लोहरदगा</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>24</td><td>खूँटी</td><td>10</td><td>20</td></tr>
</table>
परंतु, वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी आवेदक के द्वारा इस प्रकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से एकमुश्त देय होगा।
उदाहरणस्वरूप- अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक को तीन तिमाही का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने की स्थिति में पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
परन्तु यदि चालू अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्षों में अल्प अवधि के लिए अर्थात एक वित्तीय वर्ष से कम अवधि के लिए किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में नवीकृत थोक अनुज्ञप्तियों हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क मासिक समानुपातिक रूप में देय होगा ।
उदाहरणस्वरूप- यदि किसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण एक माह के लिए किया जाता है, तो उस अनुज्ञप्तिधारी को वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का 1/12 भाग अनुज्ञप्ति शुल्क, अग्रिम रूप में भुगतान करना होगा ।
</td>
</tr>
</table>

3. मूल नियमावली में संशोधित नियम के अतिरिक्त शेष नियम यथावत रहेंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 130 -- 50